भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2630

25 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न

भुखमरी के कारण हुई मौतें

2630 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में भुखमरी के कारण हुई मौतों की कुल संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

(ख) वर्तमान में देश में कुल कितने बच्चे कुपोषित हैं;

(ग) क्या यह सच है कि खाद्य राजसहायता और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए बजटीय आवंटन में बजटीय अनुमान 2022-23 में संशोधित अनुमान 2021-22 की तुलना में 28 प्रतिशत की कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने भुखमरी के कारण मृत्यु की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की है।

(ख): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट के अनुसार, 67.1% बच्चे (आयु 6-59 माह के बीच) एनीमियाग्रस्त हैं, 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चों में बौनापन है, 32.1% बच्चों का वजन कम है और 19.3% बच्चों में अवरुद्ध विकास है।

(ग) और (घ): खाद्य सब्सिडी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 292219.11 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान 2021-22 की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में कुल बजटीय आवंटन 213053.09 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) स्कीम के कारण सरकार द्वारा (मई 2021 से मार्च 2022 तक) अतिरिक्त निधि का आवंटन किया गया था। अतः वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान चरण में खाद्य सब्सिडी के लिए निधियों का आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में अधिक था।

******